राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर,झालावाड

क्रमाक /राजस्व/ 2006/1103 दिनांक 5.03.2007

आदेश

उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी ने उनके पत्रांक 934 दिनांक 14.02.07 से कस्बा डग की आराजी ख0न0 2925 रकबा 4 बीघा के प्रस्ताव मय अभिशंषा के आई.टी.आई. स्थापित करने हेतु भिजवाए है।

शारदा मनोहर जिला झालावाड महिला समिति विकास समिति झालावाड के सचिव ने उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.02.07 से ग्राम डग में औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु भूमि आवंटित किये जाने का आवेदन किया है। आवेदन पत्र के साथ प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के पत्र कमांक प.7 (12) प्र-1/1765/07-08/आशय/आईटीसी/एफ.एल09/53767 दिनांक 29.12.06 की प्रति पेश की है जिससे इस संस्थान को कस्बा डग में औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थपित करने का आशय पत्र दिया गया है।

माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर ने उनके पत्र कमांक पीएस/पीएसपीई /07/30 दिनांक 24.02.07 से यह निर्देश प्रसारित किये है कि औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के निर्माण हेतु निजी निवेषकों से प्राप्त प्रस्तावों पर उन्हें 2.5 एकड (अर्थात 4 बीघा) भूमि निः शुल्क आवंटन करने की शक्तियॉ राज्य सरकार को थी वह जिला कलक्टर को प्रदत्त कर दी गई है।

चूँकि प0स0 डग क्षेत्र में औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पोलोटकनिक कालेज नही होने की दृष्टि से यह क्षेत्र तकनीकी संस्थान की दृष्टि से पिछडा हुआ क्षेत्र है। अतः उक्त पत्र एवं अधिसूचना एफ 14 (1) /राजस्व-6 / 05/10 दिनांक 26.02.07 एवं राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत निम्न शर्ता एवं प्रतिबंधों पर शारदा मनोहर जिला झालावाड महिला विकास समिति झालावाड को कस्बा डग की ख0न0 2925 की 4 बीघा भूमि का ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु निःशुल्क आवंटन किया जाता है।

शर्ते एवं प्रतिबन्ध :-

1. यह आवंटन 25 वर्ष की लीज पर पट्टाधृति आधार पर निःशुल्क किया गया है पट्टा अभिलेख प्रारूप 1 में होगा ।
2. भूमि का उपयोग सर्वथा उस प्रयोजन के लिये ही किया जावेगा । जिसके लिये उसे आवंटित किया गया है । कब्जा सौपने के 18 माह के भीतर -भीतर कार्य प्रारम्भ कर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।
3. भूमि राज्य सरकार मे निहित होगी।
4. आवंटित भूमि और उस पर निमार्ण भवन का किसी भी रूप में विकय , उपपट्टे पर दिया जाना या अन्तरण आवंटन अधिकारी को पूर्वानुमति के बिना नही किया जावेगा।
5. राज्य सरकार समय-समय पर जो भी आदेश निर्देश जारी करेगी वह इस आवंटन आदेश पर भी प्रभावी होगें।

6 भूमि की निर्धारित प्रारूप में लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक होगा।
7. उपरोक्त शर्तो का कोई उल्लंघन किये जाने पर भूमि उस पर निर्मित भवन आदि सहित राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जावेगी ओर इसके लिये किसी प्रकार के मुआवजे का हकदार नही होगा ।

जिला कलक्टर
झालावाड

क्रमांक/सम/ 1/04-11 दिनांक 5- 03.07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव तकनिकी शिक्षा राज0 जयपुर।
2. शासन उप सचिव राजस्व ग्रुप-3 विभाग राज0 जयपुर।
3 उप सचिव (पी) मुख्यमंत्री सचिवालय राज0 जयपुर
4 निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर
5 उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी
6 तहसीलदार गंगधार को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित भूमि पर नियमानुसार कब्जा सम्भलाया जावे एव राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जावे।
7 शारदा मनोहर जिला झालावाड महिला विकास समिति झालावाड
8 जिला राजस्व लेखाकार स्थानीय कार्यालय
9 रक्षित

जिला कलक्टर
झालावाड

Secretary
Sharda Manohar Jile Jhalawar
Mahila Vikas Samiti Jhalawar